न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) (पीठासीन अधिकारी : सूरज राणा)	
निर्णय दिनांक–19.08.2026 दाण्डिक प्रकरण क्र.–18275 / 2024 संस्थित दिनांक–18.10.2024 थाना–डीडी नगर, अपराध क्र.–374 / 2024	
अभियोजन	छ.ग. राज्य द्वारा, थाना–डीडी नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
अभियोजन द्वारा	श्री ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्त	रिंकु देवांगन, पिता– श्री गोवर्धन देवांगन
अभियुक्त द्वारा	श्री द्वारिका प्रसाद यादव अधिवक्ता।

फार्म ई

अपराध दिनांक	**25.09.24**
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	**25.09.24**
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	**18.10.24**
आरोप पत्र विरचित दिनांक	**31.05.25**
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	**19.08.26**
निर्णय दिनांक	**19.08.26**
दण्डादेश दिनांक यदि कोई हो	**–**

– अभियुक्त का विवरण –

क्र.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी दिनांक**	**आरोपित अपराध की धारा**	**दोषमुक्ति या दोषसिद्धि**	**विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत अवधि (धारा–468 भा.ना.सु.सं.)**
01	रिंकु देवांगन, पिता– श्री गोवर्धन देवांगन, उम्र–24 वर्ष, साकिन–श्रीराम नगर, न्यू चंगोरा भांटा, थाना–डी.डी.नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)	25.09.24	धारा– 34(1)(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915	**दोषमुक्त**	**निरंक**

दां.प्र.क्र.—18275/2024
अपराध क्रमांक—374/24
शासन विरुद्ध रिंकु देवांगन

— अनुक्रमणिका —

सरल क्रमांक	विवरण	पेज संख्या
01	निर्णय का शीर्षक	1
02	अधिवक्ताओ की उपस्थिति	1
03	आरोप	2
04	स्वीकृत तथ्य	3
05	अभियोजन कहानी	3—4
06	अभियुक्त की प्रतिरक्षा	4
07	विचारणीय प्रश्न	5
08	सकारण निष्कर्ष	5—14
09	दण्डादेश	—
10	अभिरक्षा की अवधि	—
11	संपत्ति का व्ययन	15
12	प्रतिकर/मुआवजा	—
13	धारा 468 भा.ना.सु.सां. का प्रमाण पत्र	16

// निर्णय //

(आज दिनांक—18/08/2026 को घोषित)

01. अभियुक्त रिंकु देवांगन, के विरूद्ध धारा—34(1) (ख) छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक—25.09.24 को समय 15.50 बजे, स्थान—श्रीराम नगर, शीतला तालाब के पास, थाना—डी.डी. नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) क्षेत्रान्तर्गत में 16 पौवा देशी मदिरा मसाला प्रत्येक में 180—180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर, एवं बिक्री रकम 150/— रुपये को विक्रय करने के प्रयोजन से बिना वैद्य आज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में रखा।

02. प्रकरण में कोई निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना—डीडी नगर के महिला प्रधान आरक्षक रोशनी साहू को थाना डीडी नगर में दिनांक—25.09.24 को मुखबीर से सूचना मिली कि रिंकु देवांगन नाम का एक व्यक्ति श्रीराम नगर, शीतला तालाब के पास, थाना—डी.डी. नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है सूचना प्राप्त होने पर हमराह आरक्षक कृष्णा ठाकुर क्रंमाक 1001 एवं गवाह बजरंग मानिकपुरी तथा गोलू गिलहरे को धारा 160 जाफौ0 का नोटिस तामिल कराकर श्रीराम नगर, शीतला तालाब के पास, थाना—डी.डी. नगर, रायपुर (छ.ग.) पहुंचे जहां मुखबीर के बताये हुलिये का एक व्यक्ति मिला जिसे घेरा बंदी कर पकड़े। नाम पता पूछने पर अपना नाम रिंकु देवांगन पिता गोवर्धन देवांगन निवासी श्रीराम नगर चंगोरा भाठा थाना डीडी नगर रायपुर का निवासी बताया। जिसके झोले की तलाशी लेने पर 16 पौवा देशी मदिरा मसाला प्रत्येक में 180—180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर, कुल किमती 1760 / — रूपये एवं बिक्री रकम 150 / — रुपये को गवाहान के समक्ष जप्त किया गया। अभियुक्त को समय सदर में गिरफ्तार कर मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है। सम्पूर्ण विवेचना एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रिंकु देवांगन, पिता— श्री गोवर्धन देवांगन, उम्र—24 वर्ष, साकिन—श्रीराम नगर, न्यू चंगोरा भांटा, थाना—डी.डी.नगर, जिला— रायपुर (छ. ग.) के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से धारा 34 (1) (क) छ.ग. आबकारी

अधिनियम 1915 अभियोग पत्र कमांक. 278/2024 तैयार किया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त के विरुद्ध धारा—34(1)(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टयां पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त रिंकु देवांगन, द्वारा जुर्म अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

05. प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से आये तथ्यों के आधार पर अभियुक्त रिंकु देवांगन, का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की **धारा—351** के अंतर्गत प्रश्न विरचित कर परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्त रिंकु देवांगन, ने बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

06. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षीगण जप्ती गवाह **बजरंग मानिकपुरी** (अ.सा.क.—01), जप्ती गवाह **गोलू गिलहरे** (अ.सा.क.—02) एवं कायमी/विवेचना प्रधान आरक्षक **रोशनी साहू** (अ.सा.क.—03), का न्यायालय में परीक्षण कराया गया है। अभियुक्त की ओर से अपने पक्ष समर्थन में किसी भी साक्षीगण का साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया है।

07. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शांकित कराए गए हैं—

क्रमांक	**दस्तावेज**	**प्रदर्शांकित**
01	घटना स्थल नजरी नक्शा	**(प्र.पी.—01)**
02	गिरफ्तारी पत्रक	**(प्र.पी.—02)**
03	ग्वाहों को धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस	**(प्र.पी.—03)**

04	जप्ती पत्रक	**(प्र.पी.—04)**
05	जप्ती गवाहों का कथन	**(प्र.पी.—05, 06)**
06	प्रथम सूचना रिपोर्ट	**(प्र.पी.—07)**
07	धारा 91 जाफौ का नोटिस	**(प्र.पी.—08)**
08	रोजनामचा सान्हां रवानगी, वापसी	**(प्र.पी.—09, 10)**
09	आबकारी उप निरीक्षक को मदिरा परीक्षण करने हेतु प्रेषित पत्र	**(प्र.पी.—11)**
10	मदिरा परीक्षण रिपोर्ट	**(प्र.पी.—12)**
11	जप्त माल के रजिस्टर की प्रति	**(प्र.पी.—13)**

08. **<u>प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैः—</u>**

(01) क्या अभियुक्त रिंकु देवांगन के द्वारा दिनांक—25.09.24 को समय 15.50 बजे, स्थान —श्रीराम नगर, शीतला तालाब के पास, थाना—डी.डी. नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) क्षेत्रान्तर्गत में 16 पौवा देशी मदिरा मसाला प्रत्येक में 180—180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर, एवं बिक्री रकम 150 / — रुपये को विक्रय करने के प्रयोजन से बिना वैद्य आज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में रखा ?

(02) दोषसिद्धि या दण्डादेश यदि कोई हो तो ?

<u>/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक (01) का सकारण निष्कर्ष / /</u>

09. अभियोजन ने प्रकरण को अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित करने के लिये अभियोजन साक्षी बजरंग मानिकपुरी **(अ.सा.क.—01)** को परीक्षित कराया जिसने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह गिरफतारी पत्रक में चस्पित

अभियुक्त के फोटो को नहीं पहचानता है। साक्षी का कहना है कि थाना डीडी नगर के पुलिस वाले उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किये तथा आज से लगभग दो वर्ष पूर्व कुछ दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर किये थे। उसको घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने मौका नक्शा प्रपी—01, गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—02, धारा 160 द.प्रं.सं. की नोटिस प्रदर्श पी—03, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—04, के अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

10. अभियोजन द्वारा साक्षी बजरंग मानिकपुरी **(अ.सा.क.—01)** से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उपरोक्त साक्षी ने अभियोजन के सभी सुझावों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि पुलिसवालों ने उसे बतौर गवाह अपने कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु धारा 160 द.प्रं.सं. का नोटिस प्रदर्श पी—01 नहीं दिया था। दिनांक—25.09.24 को श्रीराम नगर, शितला तालाब के पास आरोपी रिंकु देवांगन से 16 पौव देशी मदिरा मसाला प्रत्येक पौवा में 180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर एवं बिक्री रकम 150 /— रुपये उसके समक्ष पुलिस द्वारा जप्त नहीं किया गया था तथा न ही जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—04 उसके समक्ष तैयार किया गया था। तथा न ही आरोपी रिंकु देवांगन को उसके समक्ष पुलिस द्वारा गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—02 तैयार किया गया था। ना ही उसके समक्ष घ टना स्थल का मौका नक्शा प्रपी—01 तैयार किया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन (प्रदर्श पी—05) के अ से अ भाग का ''घटना दिनांक 25.09.24.................... कथन है।'' पढ़कर सुनाए जाने पर ऐसा कथन पुलिस को नहीं देना बताया है।

11. अभियोजन साक्षी गोलू गिलहरे **(अ.सा.क.—02)** ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह गिरफतारी पत्रक

में चस्पित अभियुक्त के फोटो को नहीं पहचानता है। साक्षी का कहना है कि थाना डीडी नगर के पुलिस वाले उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किये तथा आज से लगभग दो वर्ष पूर्व कुछ दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर किये थे। उसको घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने मौका नक्शा प्रपी—01, गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—02, धारा 160 द.प्रं.सं. की नोटिस प्रदर्श पी—03, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—04, के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

11. अभियोजन द्वारा साक्षी बजरंग मानिकपुरी **(अ.सा.क.—02)** से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उपरोक्त साक्षी ने अभियोजन के सभी सुझावों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि पुलिसवालों ने उसे बतौर गवाह अपने कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु धारा 160 द.प्रं.सं. का नोटिस प्रदर्श पी—01 नहीं दिया था। दिनांक—25.09.24 को श्रीराम नगर, शितला तालाब के पास आरोपी रिंकु देवांगन से 16 पौव देशी मदिरा मसाला प्रत्येक पौवा में 180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर एवं बिक्री रकम 150 / — रुपये उसके समक्ष पुलिस द्वारा जप्त नहीं किया गया था तथा न ही जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—04 उसके समक्ष तैयार किया गया था। तथा न ही आरोपी रिंकु देवांगन को उसके समक्ष पुलिस द्वारा गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—02 तैयार किया गया था। ना ही उसके समक्ष घ टना स्थल का मौका नक्शा प्रपी—01 तैयार किया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन (प्रदर्श पी—06) के अ से अ भाग का ''घटना दिनांक 25.09.24.................... कथन है।'' पढ़कर सुनाए जाने पर ऐसा कथन पुलिस को नहीं देना बताया है।

12. अभियोजन साक्षी विवेचना अधिकारी प्रधान आरक्षक रोशनी साहू **(अ. सा.कं.—03)** ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह वर्ष 2021 से 2024

तक थाना डीडी नगर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत् थे। दिनांक—25.09.24 को मुखबीर से सूचना मिली कि रिंकु देवांगन नाम का एक व्यक्ति श्रीराम नगर, शीतला तालाब के पास, थाना—डी.डी. नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है सूचना प्राप्त होने पर हमराह आरक्षक कृष्णा ठाकुर क्रंमाक 1001 एवं गवाह बजरंग मानिकपुरी तथा गोलू गिलहरे को धारा 160 जाफौ0 का नोटिस तामिल कराकर श्रीराम नगर, शीतला तालाब के पास, थाना—डी.डी. नगर, रायपुर (छ.ग.) पहुंचे जहां मुखबीर के बताये हुलिये का एक व्यक्ति मिला जिसे घेरा बंदी कर पकड़े। नाम पता पूछने पर अपना नाम रिंकु देवांगन पिता गोवर्धन देवांगन निवासी श्रीराम नगर चंगोरा भाठा थाना डीडी नगर रायपुर का निवासी बताया। जिसके झोले की तलाशी लेने पर 16 पौवा देशी मदिरा मसाला प्रत्येक में 180—180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर, कुल किमती 1760 / — रूपये एवं बिक्री रकम 150 / — रुपये को रखा मिला। तत्संबंध में धार 91 द.प्रं.सं. का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नहीं होना लिखकर पेश किया। जिस पर अवैध शराब रखना पाये जाने से मौके पर समक्ष गवाहन के मुताबिक जप्ती पत्रक में 16 पौवा देशी मदिरा मसाला प्रत्येक में 180—180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर, एवं बिक्री रकम 150 / — रुपये को जप्त कर जप्तशुदा शराब में परीक्षण हेतु 04 पौवा पृथक से सीलबंद किया गया।

13. **प्रधान आरक्षक रोशनी साहू (अ.सा.कं.—03)** ने अपने न्यायालयीन कथन में आगे यह बताया है कि अभियुक्त का उक्त कृत्य अपराध सदर धारा 34 (1) (क) छ0ग0 अबकारी अधिनियम, 1915 का पाये जाने से अभियुक्त रिंकु

देवांगन पिता– गोवर्धन देवांगन उम्र 24 वर्ष को विधिवत गिरफतार किया गया एवं गिरफतारी की सूचना उसके परीजन को दी गयी। अपराध कारित करना पाये जाने से उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी–07** है जिसके अ से अ व ब से ब भाग पर उसका हस्ताक्षर है। उसके द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया था। नजरी नक्शा **प्रदर्श पी–01** है जिसके ब से ब भाग पर उसका हस्ताक्षर है। गवाह बजरंग मानिकपुरी एवं गोलू गिलहरे को दिया गया नोटिस **प्रदर्श पी–03** है जिसके स से स भाग पर उसका हस्ताक्षर है। अभियुक्त रिंकु देवांगन को दिया गया धारा 91 द0प्रं0सं0 का नोटिस **प्रदर्श पी–08** है जिसके अ से अ भाग पर उसका एवं ब से ब भाग पर अभियुक्त का हस्ताक्षर एवं स से स भाग पर आरोपी द्वारा लेख किया गया टीप अंकित है। अभियुक्त से जप्त शराब एवं ब्रिकी रकम का जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–04** है जिसके स से स भाग पर उसका एवं द से द भाग पर अभियुक्त का हस्ताक्षर है। अभियुक्त रिंकु देवांगन का गिरफतारी पत्रक **प्रदर्श पी–02** है जिसके स से स भाग पर उसका एवं द से द भाग पर अभियुक्त का हस्ताक्षर है। प्रकरण में घटनास्थल रवानगी एवं कार्यवाही पश्चात् वापसी का नकल रोजनामचा सान्हा की प्रति संलग्न है जो **प्रदर्श पी–09 एवं 10** है जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है। उसके द्वारा गवाह बजरंग मानिकपुरी एवं गोलू गिलहरे का कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया है। समस्त विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. (अ.सा.क्रं.—03) ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार नहीं किया गया है तथा रोजनामचा सान्हा में मुखबीर द्वारा दी गई सूचना की तारीख व समय का उल्लेख नहीं किया गया है। तथा वह मूल रोजनामचा सान्हा न्यायालय में लेकर नहीं आयी है।

15. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए अभियुक्त के एकांकी एवं सचेत आधिपत्य से मदिरा का बरामद होना और बरामद हुई मदिरा का बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के आधिपत्य में रखे जाना प्रमाणित होना आवश्यक है। बजरंग मानिकपुरी (अ.सा. क.—01) तथा गोलू गिलहरे (अ.सा.क.—02), जो कि अभियोजन के अनुसार जप्ती के स्वतंत्र साक्षी है, ने अभियुक्त के कब्जे से मदिरा जप्त होने के बिंदु से इंकार कर अभियोजन के मामले को खंडित कर दिया है। इस प्रकार परीक्षित स्वंत्रत साक्षी के कथन से अभियुक्त के कब्जे से मदिरा का अभिग्रहण प्रमाणित नहीं होता है परन्तु मात्र इसी आधार पर अभियोजन के सम्पूर्ण मामले को खारिज नही किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक दांडिक मामले में यह आवश्यक नहीं है कि अनिवार्य रूप से प्रत्येक साक्षी के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन किया ही जावे। सम्पुष्टि प्रज्ञा का नियम है न कि विधि का। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 139** किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिये साक्षीगण की संख्या की अपेक्षा नहीं करती है। एकांकी साक्षी का कथन यदि विश्वसनीय है, तो उसके आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है। इस संबंध में **मुन्ना उर्फ पूरन यादव विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य ए० आई ० आर 0 2009 उच्चतम न्यायालय**

1344 एवं पत्तूलाल विरूद्ध पंजाब राज्य ए० आई० आर० 1996 उच्चतम न्यायालय 3197 के न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है।

16. अभियोजन ने अपने मामला प्रमाणित करने के लिए कुल 3 साक्षियों को परीक्षित कराया है जिसमें से बजरंग मानिकपुरी **(अ.सा.क.—01)** एंव गोलू गिलहरे **(अ.सा.क.—02)** जो कि जप्ती के स्वतंत्र साक्षी है ने अभियोजन के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है। अब अभियोजन का संूपर्ण मामला विवेचक प्रधान आरक्षक रोशनी साहू **(अ.सा.क—03)** के परिसाक्ष्य पर निर्भर करता है अभियोजन को अपना मामला प्रमाणित करने के लिए विवेचक के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना है।

17. **प्रधान आरक्षक रोशनी साहू (अ.सा.क—03)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथित किया है कि दिनांक—25.09.24 को समय 15.50 बजे, स्थान —श्रीराम नगर, शीतला तालाब के पास, थाना—डी.डी. नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) क्षेत्रान्तर्गत में 16 पौवा देशी मदिरा मसाला प्रत्येक में 180—180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर, एवं बिक्री रकम 150 / — रुपये में अवैध शराब ब्रिकी कर रहा है। तब वह हमराह स्टाफ के साथ रवाना होकर घटनास्थल पर अभियुक्त को घ ेराबंदी कर रेड किया। **परंतु मुखबिर सूचना के संबंध में विवेचक** प्रधान आरक्षक रोशनी साहू **(अ.सा.क—03) के द्वारा कोई मुखबिर सचूना पंचनामा नहीं बनाया गया है तथा न ही अभियोजन द्वारा उपरोक्त हमराह स्टाफ को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।**

18. इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर की गयी कार्यवाही के संबंध में मौका पंचनामा प्रकरण में संलग्न नही है एवं अ0सा0 3 के कथनानुसार अभियुक्त

से जप्त की गयी कुल शराब में से 04 पौवा शराब प्रत्येक पाव में 180 एम एल शराब भरी हुई जांच हेतु नमूना के लिये निकाली गयी, **परंतु तत्संबंध में सील नमूना पंचनामा भी अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं है।**

19. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस अधिकारी के घटनास्थल पर उपस्थित होने का सर्वोच्च साक्ष्य रोजनामचा सान्हा में हो सकता है **परंतु प्रकरण में रोजनामचा सान्हा मूल प्रस्तुत नहीं किया गया है** एवं प्रकरण में संलग्न रोजनामचा सान्हा की प्रतिलिपि में भी थाने की सील अंकित नहीं हैं, जिससे घ टनास्थल पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति संदेहास्पद हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में कोई जामा तालाशी पंचनामा संलग्न नहीं है। जिससे अभियुक्त के आधिपत्य से तथा कथित शराब की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है।

20. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि, अभियोजन के स्वतंत्र साक्षीगण ने मामले का समर्थन नहीं किया है, इसके अतिरिक्त प्रकरण में मुखबिर सूचना पंचनामा, मौका पंचनामा, सील नमूना पंचनामा, मूल रोजनामचा सान्हा एवं जामा तलाशी पंचनामा का अभाव अभियोजन के संपूर्ण मामले को संदेहास्पद बना देता है, ऐसे में मात्र विवेचक के संदेहास्पद परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अभियोजन का संपूर्ण मामला संदेहास्पद है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। **अतः अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।** अतएव, उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष **'' अप्रमाणित''** के रूप में किया जाता है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक (2) दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि//

21. उक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक—25.09.24 को समय 15.50 बजे, स्थान —श्रीराम नगर, शीतला तालाब के पास, थाना—डी.डी. नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) क्षेत्रान्तर्गत में 16 पौवा देशी मदिरा मसाला प्रत्येक में 180—180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर, एवं बिक्री रकम 150 / —रुपये को विक्रय करने के प्रयोजन से बिना वैद्य आज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में रखा। अतः अभियुक्त रिंकु देवांगन को छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की **धारा 34 (1) (क)** के आरोप से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

22. अभियुक्त द्वारा धारा—481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान के तहत निष्पादित मुचलका के सिवाय प्रस्तुत पूर्व जमानत एवं मुचलका निरस्त किये जाते है। एवं अभियुक्त द्वारा धारा—481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान के तहत निष्पादित मुचलका निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रभावी रहेगा। 06 माह अवधि पश्चात् स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

23. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति में 16 पौवा देशी मदिरा मसाला प्रत्येक में 180—180 एम.एल. भरा हुआ, कुल मात्रा 2.880 बल्क लीटर, को अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावें तथा अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे। तथा अभियुक्त से जप्तशुदा रकम 150 / — रूपये अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में शासन के पक्ष में राजसात की जावे। तथा अपील होने

की दशा में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे।

24. अभियुक्त की पूर्व अभिरक्षा अवधि निरंक है। धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावें, जो निर्णय का भाग होगा।

25. निर्णय की प्रतिलिपि अभियोजन एवं अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान किया जावे।

26. निर्णय की प्रति भा0ना0सु0सं0 की धारा 392 के अनुसार 7 दिन के भीतर सी.आई.एस पर अपलोड की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —

(सूरज राणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश में टंकित।

सही / —

(सूरज राणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

दां.प्र.क्र.—18275/2024
अपराध क्रमांक—374/24
शासन विरुद्ध रिंकु देवांगन

न्यायालयः—सूरज राणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, रायपुर
जिला—रायपुर (छ.ग.)

(धारा 468 भा0ना0सु0सं. के अन्तर्गत प्रमाण पत्र)

दाडिक प्रकरण क्र. 18275/2024

राज्य विरूद्ध रिंकु देवांगन

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति / दोषसिद्धी	दी गई सजा	विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत अवधि
1.	रिंकु देवांगन पिता—गोवर्धन देवांगन, उम्र—24 वर्ष,	25.09.24	25.09.24	34(1)(क) छ0ग0 आबकारी अधिनियम, 1915	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

सही/—
(सूरज राणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर
जिला—रायपुर (छ.ग.)